(153)

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रा.प्र.क्र./...../ 2016

01. गनपत सिंह आत्मज स्व. श्री प्यारेलाल, वयस्क
02. नेतराम आत्मज स्व. श्री प्यारेलाल, वयस्क
03. फूलसिंह आत्मज स्व. श्री गोपाल, वयस्क
04. गोकल आत्मज स्व. श्री गोपाल, वयस्क
05. भागवती बाई बेवा प्यारेलाल, वयस्क

सभी कृषक व निवासीगण – ग्राम उदयगिरी, तहसील व ज़िला विदिशा ..... निगरानीकर्ता/आवेदकगण

विरूद्ध

01. मोहनलाल आत्मज स्व. श्री चुन्नीलाल, वयस्क
02. दुर्गा प्रसाद आत्मज स्व. श्री चुन्नीलाल, वयस्क
03. काशीराम आत्मज स्व. श्री चुन्नीलाल, वयस्क
04. श्रीमती जसोदा बाई बेवा चुन्नीलाल, वयस्क

सभी निवासीगण – ग्राम सुनपुरा, तहसील व ज़िला विदिशा ..... गैर निगरानीकर्ता/ अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक /अपील/2015 (गनपत सिंह व अन्य विरूद्ध मोहनलाल एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 19.02.2016 से दुःखी एवं परिवेदित होकर यह निगरानी समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में

01. यह कि, आवेदक/निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार महोदय, विदिश समक्ष दिनांक 05.12.2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया गय ग्राम उदयगिरी, प.ह.न. 57 में आवेदक/ निगरानीकर्तागणों की

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – विदिशा

प्रकरण कमांक निग0 851–एक / 16

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदे ा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–3–16	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण अपर आयुक्त द्वारा स्थगन न दिए जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि की भूमिस्वामी उत्तरवारी कमांक 4 (उनके न्यायालय में) है अतः उन्हें बिना सुने स्थगन नहीं दिया जा सकता है और उन्होंने अनावेदकों को सूचना देने तथा अभिलेख बुलाने के आदेश देते हुए आवेदक का स्थगन आवेदन अमान्य किया गया है स्थगन देना या न देना यह अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है । सदस्य	